कार्यालय, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )लेखा/अनु/आकाशि/वे. स्थरी./10–11/744 दिनांकः– 29.X.12

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त समस्त महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– पूर्व में अनुदानित पदों पर कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक सेवा निवृत्त कर्मचारियों का छठे वेतनमान में वेतन नियतन करवाने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 831–901 दि. 24.11.2010 एवं 918–988/29.11.2010 .

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में लेख है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के तहत राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों का छठे वेतनमान में वेतन नियतन निदेशालय द्वारा किया जा चुका है।

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के तहत समायोजित कार्मिकों को छठे वेतनमान का लाभ राज्य सरकार में उनके कार्यग्रहण की तिथि से प्रदान किया गया है। पूर्व की बकाया अवधि का कोई ऐरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इसी प्रकार सेवा निवृत कार्मिकों के वेतन नियतन के फलस्वरूप पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार पर राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा, इस शर्त पर पूर्व में अनुदानित पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त कार्मिको के वेतन स्थरीकरण किये जाने हैं। अतः संदर्भित पत्रों के अनुसार कार्यवाही कर सेवानिवृत्त कार्मिकों के वेतन स्थरीकरण के प्रकरण निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें।

sd
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )लेखा–ए/अनु/निकाशि/वे.स्थरी/11–12/ 745–748 दिनांकः–29.X.12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक(प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
2. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा को वॅबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर